



2026:AHC: 2430

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19520 वर्ष 2025

सर्तेंद्र कुमार

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :

रजनीश दुबे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रजनीश दुबे और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेन्द्र प्रसाद को सुना गया।

2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें होमगार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि थाना कोतवाली शहर, जनपद बुलंदशहर में धारा 323, 376(1), 506 आईपीसी के तहत मामला संख्या 1139 वर्ष 2021 दर्ज होने के कारण रिट याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया था। इसके बाद, सजा को निलंबित कर दिया गया और रिट याचिकाकर्ता को कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके विरुद्ध रिट याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 2808, वर्ष 2022 (सर्तेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) दाखिल की, जिसे निस्तारित कर दिया गया था। इसके पश्चात, रिट याचिकाकर्ता ने एक अन्य रिट याचिका, रिट-ए संख्या 16822 वर्ष 2025 दाखिल की, हालांकि, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने रिट याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द करने वाला दिनांक 17.08.2024 का एक आदेश प्रस्तुत किया। इस प्रकार, वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

3. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दिनांक 17.08.2024 के आदेश में, जो रिट याचिकाकर्ता की जानकारी में केवल 12.11.2025 को आया जब रिट-ए संख्या 16822, वर्ष 2025 निस्तारित हुई थी, यह उल्लेख है कि आदेश अपील योग्य है। हालांकि, रिट याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील करेंगे कि अपील दायर करने में हुए विलंब को

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्षमा किया जाए और रिट याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा **रिट-ए संख्या 16186 वर्ष 2024, महेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, जो 26.09.2025 को निर्णित हुई थी, में दिए गए निर्णय से संबंधित आधार भी लेंगे और उस पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाएगा।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

5. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका को निस्तारित करते हुए रिट याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह 16.01.2026 तक सक्षम फोरम के समक्ष अपील प्रस्तुत करें और उक्त प्रस्ताव पर अपील का निर्णय दो माह की अवधि के भीतर किया जाएगा और विलंब के प्रश्न को आधार के रूप में नहीं लिया जाएगा।

7 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)